ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 122-125
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

जनसंख्या नियंत्रण में पुस्तकालय की भूमिका

कुसुम कुमारी
एम0 ए0, पी–एच0 डी0, समाजशास्त्र, ग्राम–मोहीउद्दीनपुर, हॅसाडीह मसौढ़ी, पटना (बिहार), भारत

Received- 17.08.2020, Revised- 21.08.2020, Accepted - 23.08.2020 E-mail: - drramanyadav@gmail.com

सारांश : *भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हमें बहुत पहले ही सचेत किया था कि "भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या एक खतरे का संकेत है जिसकी उपेक्षा करने से हमारा राष्ट्रीय जीवन बर्बाद हो सकता है।" यह एक वास्तविकता है कि जनसंख्या वृद्धि की विस्फोटक स्थिति राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आज हमारी अन्य सभी समस्यायें इस समस्या के इर्द–गिर्द घूम रही हैं। देश में व्याप्त गरीबी, भुखमरी, खाद्य पदार्थों की निरन्तर कमी, बीमारी, बेरोजगारी, बढ़ते मूल्य और आर्थिक विकास की निम्नदर जनसंख्या वृद्धि के परिणाम हैं। 'परिवार कल्याण' ही एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके आधार पर इस जटिल समस्या को सुलझाना सम्भव हो सकता है।*

कुंजीभूत शब्द– भूतपूर्व, राष्ट्रीय, बर्बाद, वास्तविकता, विस्फोटक, चुनौती, समस्यायें, भुखमरी, खाद्य पदार्थों ।

परिवार नियोजन या कल्याण क्या है?(What is Family Planning or welfare)- प्रायः लोग परिवार कल्याण या परिवार नियोजन का अर्थ जनसंख्या नियन्त्रण ही लगाते हैं, परंतु वास्तव में परिवार कल्याण का अर्थ केवल जनसंख्या नियन्त्रण ही नहीं है। यह तो एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका सम्बन्ध माता–पिता व बच्चों सहित पूरे परिवार के स्वास्थ्य व कल्याण से है।

डॉ० राधाकृष्णन ने बम्बई में 'तृतीय विश्व परिवार नियोजन महासम्मेलन' के उद्घाटन भाषण में कहा था। "यदि आप अपने पारिवारिक जीवन के स्वास्थ्य और सुख को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको सन्तानोत्पत्ति का समय खूब सोच समझकर निर्णय करना होगा। मैं समझता हूँ कि यह तय करना ही परिवार नियोजन है।

डॉ० जयन्ती प्रसाद गैरोला के शब्दों में "परिवार कल्याण या परिवार नियोजन का प्रायः गलत अर्थ लगाया जाता है। इसका अर्थ कम बच्चे पैदा करना नहीं है। यह तो एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने परिवार को इस तरह से सीमित रखते हैं कि परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वास्थ्य एवं सुखी रहे। वास्तव में परिवार कल्याण जहाँ माँ के स्वास्थ्य का मंत्र है, वही यह हर आने वाले एवं पैदा हो चुके बच्चों के लिए उनके उज्जवल भविष्य का आधार है। बच्चे जितने कम होंगे, उन्हें सुख–सुविधायें भी उतनी ही अधिक मिलेंगी। वे उतने ही स्वस्थ्य होंगे। भारतीय समाज में स्त्रियों का स्थान माँ के रूप में बहुत ही पूजनीय है, लेकिन एक पत्नी के रूप में नहीं, जबकि एक पत्नी ही माँ बन सकती है। बच्चे के जन्म की प्रसूति पीड़ा सिर्फ पत्नी को ही सहनी पड़ती है। अतः बच्चा कब चाहिए और कितने चाहिए, इसका निर्णय भी पत्नी को ही करने का अधिकार चाहिए।"

परिवार कल्याण अथवा नियोजन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए श्री नवल किशोर बिसारिया ने लिखा है. "परिवार नियोजन के अन्तर्गत प्रत्येक दम्पति का यह कर्त्तव्य है कि वह अपनी आय को ध्यान में रखते हुए उतने ही बच्चे उत्पन्न करे जिससे कि उस आय द्वारा परिवार के सभी सदस्यों का पालन–पोषण, शिक्षा–दीक्षा, और स्वास्थ्य आदि का उचित प्रबन्ध हो सकें। परिवार–कल्याण या नियोजन शिक्षा एवं माताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रजनन पर नियन्त्रण करने और बच्चों के जन्म में उचित अन्तर बनाये रखने का परामर्श देता हैं संयोगवश ने होकर, इच्छानुसार बच्चे पैदा करना ही परिवार कल्याण (नियोजन) कहलाता है। यह एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें परिवार कल्याण की भावना निहित है।"

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लक्ष्य (Objectives of Family Planning)- उपरोक्त विवेचन से ही परिवार कल्याण कार्यक्रम के उद्देश्य तथा लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं, फिर भी इन लक्ष्यों को क्रमबद्ध रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है–

(1) परिवार कल्याण कार्यक्रम का आधारभूत लक्ष्य जनसंख्या नियन्त्रण है। जनसंख्या नियन्त्रण के लिए हमारा लक्ष्य यह है कि इस सदी के अन्त तक जन्म दर 36 से घटकर 21 प्रति हजार रह जाय।

(2) परिवार कल्याण कार्यक्रम का इस भाँति विस्तार व प्रचार करना कि इसके अन्तर्गत भारत के उन 11 करोड़ 48 लाख दम्पतियों को लाभ पहुंचे, जो इस समय बच्चे उत्पन्न

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

करने में सक्षम हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम का लक्ष्य इस सभी पात्र दम्पतियों को किसी न किसी रूप में और अधिक सन्तानोत्पादन से रोकना है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए परिवार–नियोजन को जन–जन का आन्दोलन बनाना होगा ताकि लोग इसकी जरूरत को समझे और इसे अपनाने के लिए स्वेच्छा से आगे आयें।

(3) उपरोक्त 11 करोड़ 48 लाख दम्पतियों में 60 प्रतिशत दम्पति ऐसे हैं जिनके तीन या अधिक सन्तानें हैं। इन दम्पतियों को नसबन्दी के लिए तैयार करना और नसबन्दी की व्यवस्था करना भी परिवार कल्याण का एक और लक्ष्य है। शेष दम्पतियों को सन्तान–उत्पादन टालने के कार्य में मदद करने के लिए विरोध, लूप या अन्य किसी उचित साधन को उनके लिए सुलभ बनाना भी परिवार–कल्याण कार्यक्रम का लक्ष्य है।

(4) परिवार–कल्याण कार्यक्रम का एक अन्य महत्त्वपूर्ण लक्ष्य मातृ तथा बाल स्वास्थ्य की सुरक्षा भी है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत गर्भवती माताओं, स्कूल–पूर्व तथा स्कूली बालकों में रोगों से प्रतिरक्षा उत्पन्न करना (D.P.T), पोषाहार की कमी से माताओं व बच्चों में होने वाली रक्त की कमी दूर करना तथा विटामिन 'ए' कमी से होने वाली रात्रिअन्धता से बचाना शामिल है।

परिवार नियोजन के उपाय या साधन (Means or devices of Family Planning)- बच्चों को उत्पन्न होने से रोकने के उपायों या साधनों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है–

(1) प्राकृति विधियाँ – अनेक प्रकार की प्राकृतिक विधियों जैसे बाह्य स्खलन या मैथुन अवरोध एवं सुरक्षित काल विधि या ऋतुचक्र विधि से सन्तानोत्पत्ति को नियन्त्रित किया जा सकता है। इसमें दूसरी विधि एक अत्यन्त लोकप्रिय विधि है। सुरक्षित काल विधि का आधार यह है कि असुरक्षित में काल संभोग न किया जाय। असुरक्षित काल से तात्पर्य महीने के उन दिनों से है जब स्त्री की डिम्ब–नलिका से डिम्ब–निकलकर गर्भाशय में में प्रवेश कर सकता है और पुरुष शुक्रम से मिलकर गर्भ स्थापित हो सकता है।

(2) रासायनिक विधियाँ – इसके अन्तर्गत नाना प्रकार के रासायनिक गर्भ निरोधक औषधियाँ; झागदार गोली, जेली, लेप अथवा क्रीम आदि का प्रयोग सम्मिलित है। भारतवर्ष से इस प्रकार की अनेक औषधियाँ आज बाजार में उपलब्ध है। अभी हाल में, एक ऐसी दवाई का आविष्कार किया गया है जिसका इंजेक्शन देकर महिला को एक बार में तीन महीने तक गर्भ धारण करने से रोका जा सकता है।

(3) यांत्रिक विधियाँ – इसके अन्तर्गत गर्भ रोकने के लिए रबड़ आदि के कुछ उपकरणों जैसे डायाफ्राम, निरोध आदि का प्रयोग किया जाता है। निरोध एक ऐसा उपकरण है जो कि पुरुषों के द्वारा व्यवहार मे लाया जाता है। आम जनता को 'निरोध' सरलता से मिल सके, इस उद्देश्य से सरकार ने इसे बहुत ही कम कीमत पर बाजार में बेचने का प्रबन्ध किया है। साथ ही परिवार–कल्याण विभाग द्वारा यह जनता में निःशुल्क वितरित किया जाता है। त्रिविन्द्रम और मद्रास की फैक्ट्रियाँ निरोध का निर्माण करती हैं। निरोध का प्रयोग सन्तानोत्पत्ति रोकने के सर्वाधिक लोकप्रिय तरीकों में से एक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अकेले वर्ष 1990–91 के दौरान 13.77 करोड़ निरोध बेचे गये।

(4) अन्तर्गतभाशय युक्तियाँ – जुलाई 1965 में भारतवर्ष में लूप (Loop) का प्रयोग आरम्भ किया गया। इसे Intra Uterine Device (I.U.D.) भी कहते हैं। 'लूप' ने भारत में परिवार–कल्याण के कार्यक्रम को एक नई शिक्षा प्रदान की है। आपरेशन द्वारा गर्भ–निरोध स्थायी तौर पर हो जाता है और उससे भविष्य में चाहने पर भी सन्तानोत्पत्ति की सम्भावना नहीं रहती। दूसरी ओर गर्भ–निरोधक रबड़, गोली, क्रीम आदि का प्रयोग निरन्तर करना पड़ता है, साथ ही इन साधनों से गर्भ–निरोध की निश्चितता भी संदिग्ध ही रहती है। इन सबसे विपरीत 'लूप' एक सरल व सस्ता साधन है जिसकी लागत लगभग 10 पैसा पड़ती है। किसी भी डॉक्टर या प्रशिक्षित दाई आदि के द्वारा इसे गर्भाशय के मुँह में फैला दिया जाता है और जब भी सन्तान की इच्छा या आवश्यकता हो तो 'लूप' को आसानी से निकाला भी जा सकता है। कानपुर में 'लूप' महिलायें 'लूप' का प्रयोग कर चुकी हैं। अभी हाल ही में 'लूप' से भी अधिक विकसित विधि 'ब्यचचमत ज' प्रयोग में लाई गई है।

(5) बन्ध्याकरण – यह परिवार को सीमित करने का एक स्थायी उपाय है। इसमें अलग–अलग तरीके से पुरुष या स्त्री की आपरेशन द्वारा नसबन्दी की जाती है। पुरुष के अपरेशन या नसबन्दी में पाँच मिनट लगते हैं और इसमें शुक्रणु लाने वाली नलियों को काट दिया जाता है। स्त्रियों के आपरेशन में गर्भाशय का मुँह बाँध दिया जाता है। स्त्रियों के बन्ध्याकरण (Sterlization) की अभी हाल ही में एक नई विधि 'दूरबीन विधि' (Lepro-Scopy Method) विकसित की गई है जिसके द्वारा 2 मिनट में स्त्रियों का आपरेशन हो जाता है। यह विधि दिनोंदिन अत्यधिक लोकप्रिय होती जा रही है।

(6) चिकित्सीय गर्भपात – जन्म दर को घटाने के उद्देश्य से सरकार ने Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 पास किया, जो कि सम्पूर्ण भारत मे 1

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

अप्रैल 1972 से लागू हो गया है। अच्छे उपकरणों से सुसज्जित अनुमोदित अस्पतालों में पूर्ण प्रशिक्षित डाक्टरों द्वारा चिकित्सीय गर्भपात आवश्यक रूप से स्वास्थ्य–रक्षा की दिशा में उठाया गया कदम है। साथ ही, जिन मामलों में अन्य गर्भ निरोधक असफल रहते हैं, उनमें यह कानून गर्भपात की व्यवस्था के कारण परिवार–कल्याण कार्यक्रम का पूरक भी है। इस प्रकार का गर्भपात कराने के लिए देश में 5173 सरकारी व गैर–सरकारी संस्थायें क्रियाशील है। कार्यक्रम के आरम्भ से 1989 तक 23.9 लाख गर्भपात कराये जा चुके हैं।

इन सारे प्रयासों के बावजूद जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने में आशातीत सफलता नहीं मिल पायी है अतः जनसंख्या नियंत्रण में पुस्ताकलय की भूमिका उत्तम हो सकती है।

आजकल पुस्तकालयों का कार्य केवल पुस्तक संग्रह करना ही नहीं रह गया है, बल्कि पुस्तकालय में पुस्तकों के अतिरिक्त पत्र–पत्रिकायें, हस्तलिखित ग्रन्थ, मानचित्र, फिल्म, ग्रामोफोन रिकार्ड, रेडियो, टेपरिकोर्डर एवं अन्य मुद्रित सामग्री को संकलित एवं सुरक्षित रखा जाता है। इस सामग्री के पुस्तकालय में उपलब्ध होने से पुस्तकालय का महत्व बढ़ गया है। निश्चय ही पुस्तकालय सेवा की परिवार नियोजन के प्रचार–प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

वर्तमान में जो प्रचार हो रहा है, उससे अधिकतर समुदाय लाभ उठा रहा है। देश की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में रहती है और उसमें बड़ी संख्या में लोग अशिक्षित है। वहाँ न परिवार कन्द्रों की पर्याप्त व्यवस्था ही है और न ही व्यापक प्रचार है, जिससे ग्रामीण समुदाय के बीच इस कार्यक्रम को पहुँचाया जा सके। इस कार्यक्रम के प्रसार–प्रचार के लिये गाँवों में जगह–जगह परिवार नियोजन कार्यक्रम से सम्बन्धित विज्ञापन तो लगे होते हैं और कभी–कभी ऑपरेशन कैम्प भी लगते हैं, लेकिन सिर्फ इनसे सफलता नहीं मिलती है। यहाँ के लोगों में अशिक्षा के कारण अज्ञानता व्याप्त है। अज्ञानता से अन्धविश्वास एवं रूढ़िवाद बढ़ता है और लोगों को अधिक सन्तानोत्पत्ति के दुष्परिणामों का आभास नहीं होता।

भारत में बड़ी जनसंख्या अशिक्षित है और महिलाओं में अशिक्षा और भी अधिक है। इस अशिक्षा के कारण जनता में परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति उदासीनता रहती है। वास्तव में अधिक प्रभावी होने वाला वर्ग यही है जो गरीब सुविधाओं से वंचित, ग्रामीण और अशिक्षित है। अतः इस समुदाय के बीच ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो इन व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक आधार प्रेरित कर सके। तभी इस कार्यक्रम को सफलता मिल सकती है। इस कार्य को पुस्तकालय जैसी संस्था सफलतापूर्वक संचालित कर सकती है। इस समुदाय को यदि कार्यक्रम से लाभान्वित करना है तो देश के गरीबों, कस्बों एवं शहरों में पुस्तकालय सेवा का विकास करना होगा। यह समस्या अवश्य हो सकती है कि छोटे–छोटे गाँवों में पुस्तकालय खोलने से उतना लाभ नहीं हो सकता जितना उस पर खर्च आयेगा। इस समस्या के समाधान के लिये यह किया जा सकता है कि प्रत्येक प्राइमरी, मिडिल एवं सैकेण्डरी स्कूल के अध्यापकों को इस कार्यक्रम के लिये प्रशिक्षित किया जाये और इनके द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार किया जाये तथा पुस्तकालयों में विभिन्न प्रकार की मुद्रित–अमुद्रित सामग्री मंगाई जाये।

सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना किसी केन्द्रीय स्थान पर कर दी जाये जहाँ से चल–पुस्तकालय की व्यवस्था की जा सकती है। उन चल–पुस्तकालयों में छोटे–छोटे गाँवों एवं कस्बों में परिवार नियोजन सम्बन्धी सामग्री लाने–लेआने की व्यवस्था की जा सकती है। इन्हीं चल–पुस्तकालयों में प्रोजैक्टर्स की व्यवस्था कर न्यूजरील फिल्म दिखाने का कार्य किया जा सकता है, जिससे इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से ही गति आयेगी।

प्रत्येक व्यक्ति के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह रेडियो, समाचार–पत्र–पत्रिका आदि खरीद सके। पुस्तकालय में सभी सामग्री की व्यवस्था निःशूल्क होने से गरीब व सुविधा से वंचित लोग भी परिवार नियोजन की व्यवस्था से लाभान्वित हो सकेंगे और विभिन्न एजेन्सियों द्वारा प्रचार–प्रसार से बजाय एक संगठन द्वारा व्यवस्थित ढंग से प्रचार–प्रसार हो सकेगा।

– पुस्तकालयों में इस कार्य से सम्बन्धित प्रकाशित पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि विभिन्न सामग्रियों को निश्चित स्थान पर लगाकर जनता को कार्यक्रम के प्रति प्रोत्साहित किया जा सकता है।

– पुस्तकालय से रेडियो आदि की व्यवस्था पर विभिन्न कार्यक्रमों, प्रमुख रूप से नाटकों, वार्ताओं आदि की सहायता से परिवार नियोजन की समस्या को इन लोगों के बीच प्रस्तुत कर लाभान्वित किया जा सकता है।

– भारत में युवक युवतियों में यौन–शिक्षा का अभाव होने से भी यह कार्यक्रम सफल नहीं हो पा रहा है। यदि पुस्तकालय की व्यवस्था होगी तो इस शिक्षा से सम्बन्धित अच्छा साहित्य उपलब्ध कराकर जनता के ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। इससे परिवार नियोजन कार्यक्रम में और जागरूकता उत्पन्न होगी।

– पुस्तकालय में प्रोजेक्टर्स की व्यवस्था कर इस कार्य से

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

सम्बन्धित फिल्म दिखाकर जनता को परिवार नियोजन की ओर अधिक आकर्षित किया जा सकता है। अशिक्षित जनता में इस प्रकार की फिल्म से जागरूकता पैदा करना अधिक आसान रहता है।

इस प्रकार परिवार नियोजन के कार्यक्रम को पूर्णतया सफल बनाने के लिये पुस्तकालय सेवा का विकास करना होगा जिसमें इस कार्यक्रम में तीव्र गति आ सके। पुस्तकालय एक ऐसा माध्यम है, जिससे समाज में फैली बुराइयों को दूर किया जा सकता है एवं अज्ञानता को दूर कर समाज को जागरूक बनाया जा सकता है।

अतः पुस्तकालय सेवा परिवार नियोजन के कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार का देश की बढ़ती जनसंख्या की दर में कमी कराने में सहायक हो सकती है। इससे परिवार नियोजन के कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति होना सम्भव है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. जे० एस० विनायक : पारिवारिक सम्बन्ध, संजीव प्रकाशन मेरठ, 1994.
2. सरला दूबे : सामाजिक विघटन, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली, 2002.
3. पुष्पा श्री दूबे : जनसंख्या शिक्षण, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, दिल्ली।
4. एच० पी० सिंह एवं वी० पी० मित्तल : भारत की आर्थिक समस्यायें, संजीव प्रकाशन, मेरठ, 1992.

*****

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*